विज्ञापन–नीति

बोर्ड द्वारा अनुमोदित *Regular Campaigns/Media Plan* के अतिरिक्त भी उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् विज्ञापन जारी कर सकता है, जिसके लिए निम्न दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित् किया जायेगा:–

1– पर्यटन तथा पर्यटन पर आधारित पत्र–पत्रिका, ट्रैवल गाईड बुक, पीरियोडिकल आदि जो कि पर्यटन तथा हॉस्पिटीलिटी उद्योग पर केन्द्रित हो।

2– पर्यटन से इतर ऐसे पब्लिकेशन जिनकी पहुंच समाज के विभिन्न वर्गों तक काफी अच्छी है।

3– स्मारिका जो कि विभिन्न सेमिनार, कॉन्फ्रेन्स, ईवेन्ट्स आदि के अवसर पर प्रकाशित की जाती है एवं जिनका वितरण प्रतिभागियों, स्टेक होल्डर ***(Stake Holder)*** एवं अन्य जनमानस के बीच किया जाता है।

4– *Media Plan* के अतिरिक्त ऐसी इन्फ्लाईट मैग्जीन जो कि घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के दौरान हवाई जहाज में रखी जाती है, मे भी उच्च आय वर्ग के पर्यटकों को प्रदेश की ओर आकर्षित करने हेतु किया जा सकता है।

5– ऐसे ख्याति प्राप्त घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय पब्लिकेशन में विज्ञापन/एडवटोरियल जारी किया जा सकता है जो कि क्षेत्रीय/राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय, ईवेन्ट्स के अवसर पर प्रदेश/देश अथवा पर्यटन पर विशेषांक प्रकाशित कर रहें हो।

6– उपरोक्त 05 श्रेणियों के अतिरिक्त किसी ऐसे पब्लिकेशन में जो कि पर्यटन को प्रदेश एवं प्रदेश से बाहर प्रचारित एवं प्रसारित करने में सक्षम हो।

2– विज्ञापन प्राप्ति हेतु अनिवार्य शर्तें:–

1– पर्यटन एवं पर्यटन आधारित विभिन्न प्रकार के पब्लिकेशन जो कि उपरोक्त श्रेणियों में वर्णित है, को तभी विज्ञापन जारी किया जा सकेगा जबकि उसके प्रकाशन/सर्कुलेशन को कम से कम एक वर्ष हो चुके हो तथा पर्यटन के अतिरिक्त अन्य विषयों पर आधारित पब्लिकेशन के लिए कम से कम दो वर्षों का प्रकाशन/सर्कुलेशन होना अनिवार्य होगा।

2– चूंकि स्मारिका पीरियोडिकल श्रेणी में नही आती है इसलिए न्यूनतम सर्कुलेशन की शर्त बाध्यकारी नही है।

3– *विज्ञापन राशि:–*

1– पर्यटन अथवा पर्यटन सम्बन्धित पब्लिकेशन में किसी भी वित्तीय वर्ष में अधिकतम चार विज्ञापन जिसकी अधिकतम कुल धनराशि ***रू0 3.00 लाख*** होगी दिये जा सकेंगे।

2– पर्यटन सम्बन्धी पब्लिकेशन से इतर पब्लिकेशन में किसी भी वित्तीय वर्ष में अधिकतम दो विज्ञापन जिसकी अधिकतम कुल धनराशि ***रू0 1.00 लाख*** होगी दिये जा सकेंगे।

3– किसी भी स्मारिका को वित्तीय वर्ष में मात्र एक ही विज्ञापन जिसकी अधिकतम सीमा ***रू0 25,000.00 (रू0 पच्चीस हजार मात्र)*** होगी दी जा सकेगी।

4– समाचार पत्रों में विज्ञापन डी0ए0वी0पी0 दरों पर ही जारी किये जा सकेंगे परन्तु अधिकतम सीमा 3 (2) की भांति रहेगी। जिन समाचार पत्रों की डी0ए0वी0पी0 दरें नही है उनको 400 वर्ग सेमी0 साईज़ के विज्ञापन हेतु ***रू0 1,500.00 (रू0 एक हजार पांच सौ मात्र)*** तथा पत्रिका में एक पृष्ठ हेतु ***रू0 3,000.00 (रू0 तीन हजार मात्र)*** की धनराशि देय होगी।

5– गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, 02 अक्टूबर आदि के अवसरों पर लोक सूचना विभाग द्वारा विभिन्न विभागों की उपलब्धियों से सम्बन्धित विज्ञापन प्रकाशित होते है इसलिए इन अवसरों पर पर्यटन विभाग द्वारा अलग से विज्ञापन प्रकाशित नही होगा परन्तु ***27 सितम्बर "विश्व पर्यटन दिवस"*** के अवसर पर आवश्यकतानुसार विज्ञापन प्रकाशन किया जा सकता है।

4–*विज्ञापन जारी करने का अधिकार:–*

उपरोक्त बिन्दु–1 में वर्णित सभी प्रकार के पब्लिकेशन में प्रचार अधिकारी, संयुक्त निदेशक पर्यटन, वित्त नियंत्रक, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी की संस्तुति पर ***रू0 10.00 लाख*** तक के विज्ञापन मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त जारी किये जा सकेंगे, परन्तु इससे अधिक के विज्ञापन मा0 अध्यक्ष, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् के अनुमोदन के बाद ही जारी होंगे।

5– कुछ विशेष परिस्थितियों में यदि उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् द्वारा यह महसूस किया जाता है कि किसी पब्लिकेशन में विज्ञापन/एडवटोरियल दिये जाने से प्रदेश के पर्यटन को काफी लाभ होगा, परन्तु ऐसा वित्तीय सीमाओं में

रहकर किया जाना सम्भव नही है तो ऐसा निम्न समिति द्वारा किया जा सकता है:–

1–	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	अध्यक्ष
2–	अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सदस्य
3–	निदेशक प्रचार/प्रचार अधिकारी	सदस्य, सचिव
4–	वित्त नियंत्रक	सदस्य

6– *विज्ञापन/एडवटोरियल प्राप्ति हेतु अन्य शर्तें:–*

1– विज्ञापन प्राप्ति हेतु अनुरोध पत्र के साथ पब्लिकेशन का सक्षिप्त विवरण जिसमें पब्लिशन की विषय वस्तु, सर्कुलेशन संख्या, रीडरशिप तथा वितरण के साथ ही पूर्व में प्रकाशित पब्लिकेशन की प्रति भी अनिवार्य रूप से लगानी होगी।

2– किसी दशा में कार्योत्तर स्वीकृति मान्य नही होगी।

3– यदि यू0टी0डी0बी0 द्वारा उपलब्ध कराये गये क्रियेटिव को छोटा–बड़ा करना पड़ा तो उस पर होने वाले व्यय का वहन पब्लिकेशन को स्वयं करना होगा।

4– अग्रिम धनराशि देय नही होगी। प्रकाशन के उपरान्त देयक तीन प्रतियों में पब्लिकेशन की कम से कम तीन प्रतियों के साथ भुगतान हेतु यू0टी0डी0बी0 को प्रस्तुत करना होगा।

5– यू0टी0डी0बी0 द्वारा नियमानुसार सर्विस *टैक्स* दिया जायेगा तथा *टी0डी0एस0* की कटौती नियमानुसार की जायेगी।

****